न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर

सीएनआरनं0—यूपीएएन040225402026

जमानत आदेश

दिनांकः—24.08.2026

आवेदक/अभियुक्ता **प्रिया यादव उर्फ नेहा यादव** द्वारा जरिये अधिवक्ता जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता मु०अ०सं०—202/2026, अन्तर्गत धारा—105,3(5) बी०एन०एस०, थाना बसखारी, जनपद—अम्बेडकर नगर के प्रकरण में अभियुक्त हैं तथा न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध हैं।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह मामले में सर्वथा निर्दोष हैं, उसे मुकदमें में झूठा फॅसाया गया हैं।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

जमानत आवेदन के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस रिमाण्ड प्रपत्रों इत्यादि के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्ता के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या कारित करने आदि का आक्षेप है। अभियुक्ता के विरूद्ध लगाये गये अपराध का आरोप गंभीर व संज्ञेय प्रकृति का है। इस प्रकार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(संदीप कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड यू०पी०2119

Digitally signed by SANDEEP KUMAR
Date: 2026.08.24 17:53:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court